कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004
//आदेश//

भोपाल, दिनांक : 08/08/2023

क्रमांकः 960/139/आउशि/शा–5'अ'/2023 :: मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, आदेश क्रमांक 327/46/सीसी/2023/अड़तीस, भोपाल दिनांक 17.05.2023 के द्वारा सत्र 2023–24 के लिये मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रवेश नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत, अकादमिक कैलेण्डर एवं ऑनलाइन प्रवेश समय–सारणी जारी की गई है। कार्यालयीन आदेश क्रमांक 903/139/आउशि/शा–5'अ'/2023, भोपाल, दिनांक 26.07.2023 के द्वारा ऑनलाईन प्रवेश चतुर्थ सी.एल.सी. चरण की समय–सारणी जारी की गई।

2. मध्यप्रदेश के शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ऑनलाइन प्रवेश का पंचम सी. एल. सी. चरण दिनांक 12.08.2023 से 31.08.2023 तक निम्नानुसार आयोजित किया जाता है :–

ऑनलाईन प्रवेश समय–सारणी
पंचम सी.एल.सी. चरण
सत्र 2023–24 (**epravesh.mponline.gov.in**)

क्र	कार्य का विवरण	स्नातक (प्रथम वर्ष)		कुल	स्नातकोत्तर (प्रथम सेमेस्टर)		कुल
		दिनांक से	दिनांक तक	दिवस	दिनांक से	दिनांक तक	दिवस
4	(अ) ऑनलाईन पंजीयन एवं महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय समूह का विकल्प देना	12.08.2023	16.08.2023	05	13.08.2023	17.08.2023	05
	(ब) ऑनलाईन दस्तावेजों का सत्यापन (आवेदकों को सत्यापन हेतु सहायता केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु जिन आवेदकों को त्रुटि सुधार हेतु संदेश प्रेषित किया गया है, उन्हें निकटतम सहायता केन्द्र में उपस्थित होकर सुधार करवाना)	14.08.2023	19.08.2023	06	15.08.2023	21.08.2023	07
	(स) ऑनलाइन CLC चरण प्रक्रिया में महाविद्यालयो द्वारा प्रवेश निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रावीण्य सूची तैयार कर महाविद्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करना । आरक्षण श्रेणी में कोई उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में रिक्त सीटों के लिए नियमानुसार सीट परिवर्तन नियम लागू किया जाएगा	22.08.2023		—	23.08.2023		—
	(द) आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना एवं आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय में पाठ्यक्रम/विषय समूह के अपग्रेडेशन का विकल्प भरना	22.08.2023	26.08.2023	05	23.08.2023	27.08.2023	05
	(य) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थान गुणानुक्रम के आधार पर शेष आवेदकों को आवंटन पत्र जारी किया जाना। अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व का आवंटन जारी रखा जावेगा ।	28.08.2023		—	29.08.2023		—
	(र) अपग्रेडेशन से रिक्त स्थानों पर आवंटित आवेदकों को आवंटित महाविद्यालयों में ऑनलाईन प्रवेश शुल्क का भुगतान करना (प्रवेश शुल्क का भुगतान किए गए आवेदकों का ही प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश शुल्क का भुगतान न होने पर प्रवेश नहीं माना जावेगा)	28.08.2023	31.08.2023	04	29.08.2023	31.08.2023	03

निरन्तर....2,

3. सी.एल.सी. चरण में महाविद्यालय स्तर से संकायवार वरीयता क्रम में प्रवेश सूची जारी करते हुए सूची में स्थान प्राप्त आवेदकों को प्रवेश शुल्क जमा करने हेतु उनके पंजीकृत दूरभाष पर सूचित किया जाए इस आशय की जानकारी रजिस्टर में दिनांक एवं समय सहित संधारित की जाए।

4. महाविद्यालय स्तर से संकायवार जारी वरीयता सूची में स्थान प्राप्त आवेदक के प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं होने की स्थिति में आवेदक से महाविद्यालय के ई–मेल आईडी/प्रवेश प्रभारी के व्हाट्सएप नम्बर पर लिखित आवेदन प्राप्त कर, रिक्त स्थान पर वरीयता के आधार पर आवेदकों को प्रमोट कर शुल्क जमा करने के लिए दूरभाष पर सूचित किया जाए।

शेष नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

(प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित)

8/8/2023

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक 961 /139/आउशि/शा–5'अ'/2023, भोपाल, दिनांक 08 /08 /2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव,माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय,मध्यप्रदेश भोपाल, म.प्र. ।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय ।
4. निज सहायक,आयुक्त, उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश,सतपुड़ा भवन,भोपाल।
5. अध्यक्ष, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल, म.प्र. ।
6. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय भोपाल /इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/ उज्जैन/ छतरपुर एवं छिन्दवाडा, मध्यप्रदेश।
7. कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. सी.ई.ओ., एम.पी. ऑनलाइन, द्वितीय तल, डी.बी. मॉल, एम.पी. नगर, भोपाल म. प्र. की ओर कार्यवाही हेतु ।
10. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
11. प्रभारी आई.टी. शाखा, उच्च शिक्षा, म. प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

.... की ओर सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल